मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2010—माघ 28, शक 1931

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2010

क्र. एफ-1-01-2009-तेरह.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-01-2009-तेरह, दिनांक 26 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग तथा उसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्:—

1. **सौर जल तापीय प्रणाली का अनिवार्य उपयोग.**—(1) सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित वर्गों के भवनों/स्थानों में अनिवार्य होगा, अर्थात्:—

(एक) समस्त वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयाँ जहाँ प्रसंस्करण के लिये गर्म जल अपेक्षित है;

(दो) समस्त निजी/शासकीय अस्पताल तथा परिचर्या गृह (नर्सिंग होम);

(तीन) समस्त निजी/शासकीय होटल/मोटल/विश्रामगृह, भोजनालय तथा जलपान गृह (केन्टीन);

(चार) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 61 के अधीन छूट प्राप्त क्षेत्रों को छोड़ कर समस्त ऐसे वाणिज्यिक भवन तथा संस्थाएं जिनकी पूंजीगत लागत 50 लाख से अधिक हो एवं जहां गर्म जल का उपयोग किया जाता हो, उनके द्वारा अपेक्षानुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत की पूर्ति सौर जल तापीय प्रणाली के माध्यम से, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से की जाएगी.

(2) समस्त संबंधित विभाग सौर जल तापीय प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर अपने नियमों/उपविधियों में संशोधन करेंगे.

(3) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, विनिर्देश, अपेक्षानुसार रूपांकन (डिजाइन) तथा अन्य मानकों के अनुरूप सौर जल तापीय प्रणाली के प्रतिष्ठापन सुनिश्चित करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा.

2. **कम्पेक्ट, फ्लोरीसेन्ट लेम्प (सी.एफ.एल.)/ऊर्जा दक्ष बल्ब (लेम्प) का अनिवार्य उपयोग.**—(1) शासकीय क्षेत्र/शासकीय

सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित समस्त नये भवनों/संस्थानों में इन्केंडीसेट बल्वों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है. ऊर्जा दक्ष प्रकाश का उपयोग (सी.एफ.एल., एल.ई.डी. आधारित प्रकाश, इलेक्ट्रानिक ब्लास्ट, रेग्यूलेटर तथा ट्यूबलाईट्स) अनिवार्य होगा.

(2) समस्त शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में ऊर्जा दक्ष प्रकाश द्वारा इन्केंडीसेंट बल्ब का प्रतिस्थापन अनिवार्य होगा.

(3) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर समस्त ऊर्जा उपयोगी उपकरणों का भार मांग सूचना के अनुसार आवश्यक रूपांतरण करना होगा.

3. **आई एस आई/बी ई ई प्रमाणित मोटर पंप सेट्स, पावर केपीसीटर, फूट/ रिफ्लेक्स वाल्व का अनिवार्य उपयोग.**—(1) समस्त शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत, सहकारी संस्थाएं, गृह निर्माण सोसायटी, विकासकर्ता, बोर्ड, विकास प्राधिकरण आदि केवल, आई एस आई/बी ई ई प्रमाणित पंप सेट्स/मोटर/वाल्व, पावर केपीसीटर्स, स्ट्रीट लाईटिंग आदि का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे.

(2) उपर्युक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग हेतु बी ई ई प्रमाणित पंप मोटर सेट्स, पावर केपीसीटर, स्ट्रीट लाइटिंग तथा उपसाधन का ही उपयोग अनिवार्य होगा.

4. **ऊर्जा दक्ष भवनों के रूपांकन (डिजाइन) का अनिवार्य किया जाना.**—(1) शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त क्षेत्र (सेक्टर) में निर्मित होने वाले समस्त नए भवनों में ऊर्जा दक्ष भवन रूपांकन अवधारणा समाविष्ट करेंगे.

(2) रूपांकन अनुमोदित करने वाली एजेंसी, शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त क्षेत्र (सेक्टर)/संस्थाओं में भविष्य में निर्मित किए जाने वाले समस्त भवनों में ऊर्जा दक्ष भवन रूपांकन अवधारणा का समावेशन सुनिश्चित करेंगी.

5. **नोडल एजेंसी.**—मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम इस अधिसूचना के संस्थापन, क्रियान्वयन, शिक्षा तथा प्रचार-प्रसार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा.

F- 1-01-2009-XIII.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) read with the Energy Department's Order No. F1-01-2009-XIII, dated 26th October 2009, the State Government, hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Madhya Pradesh, namely:—

1. **Mandatory Use of Solar Water heating Systems.**—(1) The use of solar water heating systems shall be mandatory in following categories of building/places, namely:—

(i) all commercial & industrial units where hot water is required for processing;

(ii) all private/Government hospitals and Nursing Homes;

(iii) all private/Government Hotels/Motels/Rest House, Restaurant & Canteens.

(iv) all such commercial buildings and institutions the capital cost of which is more than Rs. 50 Lakhs and where hot water is used, minimum 25 % requirement will be done through solar water heating system compulsorily within one year from the date of notification, excluding the areas exempted under section 61 of the Energy Conservation Act, 2001.

(2) All the concerned departments shall amend their rules/bye-laws within a period of two months from the date of issue of this notification to make the use of solar water heating system mandatory.

(3) Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam will act as Nodal Agency to ensure installation of solar water hesting system as per specification, design requirement and other standards.

2. **Mandatory use of Compact, Fluorescent Lamp (CFL)/Energy Efficient Lamps** .—(1) In all new buildings/ institutions constructed in Government Sector/Government aided Sector, the use of incandescent lamps is banned with immediate effect. The use of energy efficient lighting, (CFL, LED based lights, Electronic ballasts, Regulator & Tube lights) shall be mandatory.

2. Replacement of incandescent lamp by energy efficient lighting shall be mandatory in all Government/ Government aided institutions.

3. All the power utilisers shall make necessary modification in the load demand notices within two months from the date of issue of this notification.

3. **Mandatory use of ISI/BEE certified Motor-pump sets, Power Capcitors, Foot/Reflex Valve**.—1. All Government and Government aided Institutions, Nagar Nigam, Nagar Palika, Nagar Panchayat/Gram Panchayat, Co-operative Institutions, Housing, Society Developer, Board, Developing Authority etc. Shall compulsorily use only ISI/BEE certified Pump sets/Motor/Valve, Power Capacitors, street lighting etc.

2. For use of above electrical equipments the use of BEE certified Pump motor sets, Power Capacitors, street lights & accessories shall be mandatory.

4. **Energy Efficient Building Design to Mandatory**.—1. All the new buildings to be constructed in Government/ Government Aided sector shall incorporate energy efficient building design concepts.

2. The design approval agency shall ensure the incorporation of energy efficient building design concepts in all buildings to be constructed in future in the Government/Government aided sector/institutions.

5. **Nodal Agency**.—Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam shall act as Nodal Agency for incorporation, implementation, education, and publicity of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कटारे, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.